-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाही । बोलरो पिकअप वाहन से 21 बोरियों में अवैध गुटखा 01 अवैध तमंचा व दो शातिर तस्कर गिरफ्तार, वाहन जब्त, पूरे आपूर्ति नेटवर्क और आपराधिक कनेक्शन की पड़ताल जारी ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा नशीले पदार्थों का उत्पाद/बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 14/15.10.2025 की रात्रि को थाना बदौसा पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से अपमिश्रित सुपारी मिश्रित गुटखा बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । मौके से 21 झाल (बोरी) अपमिश्रित सुपारी गुटखा व 01 अवैध तमंचा व 03 जिंदा कारतूस किया गया बरामद । गौरतलब हो कि बदौसा पुलिस नें ग्राम दुबरिया ,चतुर्वेदी ढावा के पास से चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर एक पिकअप को चेक किया । जिसमे भारी मात्रा में अपमिश्रित सुपारी मिश्रित गुटखा बरामद किया गया । प्रकरण की सूचना पर उपस्थित खाद्य विभाग की टीम द्वारा बरामद गुटखे का परीक्षण हेतु सैम्पल लिया गया। उक्त प्रतिबन्धित गुटखा के विक्रय एवं परिवहन एवं बरामद अवैध तमन्चा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना बदौसा पर अभियोग पंजाकृत कर बरामद वाहन को सीज किया गया है व आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवकी रमन उर्फ छंगू पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम तरांव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट ।
2. संदीप उर्फ छोटू पुत्र छोटा निवासी ग्राम दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 174/25, धारा 223(ख)/274/275 बीएनएस व धारा 59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बदौसा जनपद बांदा

बरामदगी-

- 21 झाल (बोरी) अपमिश्रित सुपारी मिश्रित गुटखा (कुल 6720 पैकेट “बाबा/उधार स्वादिष्ट सुपारी”)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- बोलेरो पिकअप वाहन (सीज)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री कुलदीप कुमार तिवारी थानाध्यक्ष बदौसा
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 अनुराग यादव
4. का0 मिथिलेश कुमार
5. का0 अनिल यादव